



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 31 जनवरी, 2005/11 माघ, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2004

संख्या टी0पी0टी0एफ0(9)1/2001-प्रारूप संशोधन स्कीम नामतः हिमाचल प्रदेश यात्री अनुग्रह-पूर्वक अनुदान स्कीम, 2004, 1972 (1973 का 4) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में समसंख्यक अधिसूचना तारीख 8-10-2004 द्वारा इनसे सम्भाव्य प्रभावित व्यक्तियों से हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का 4) की धारा 21 के अधीन यथा अपेक्षित, इनके प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिये राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 6-11-2004 को प्रकाशित किए गए थे ।

2. विधित अवधि के भीतर उक्त प्रारूप स्कीम से सम्बन्धित जनसाधारण से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

3. अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाते हैं :-

प्रारूप स्कीम

1. संक्षिप्त नाम-(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश यात्री अनुग्रहपूर्वक अनुदान स्कीम 2004 है ।
 (2) यह स्कीम हिमाचल प्रदेश राजपत्र की प्रकाशन की अन्तिम तारीख से प्रवृत्त होगी ।
2. परिभाषाएं -(1) इस स्कीम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 (क) “अधिनियम” से हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का 4) अभिप्रेत है;
 (ख) “दुर्घटना” से, किसी यात्री की अप्रत्याशित घटना से होने वाली ‘अशक्तता’ या ‘मृत्यु’ अभिप्रेत है, जब वह मंजिली गाड़ी बस या संविदा गाड़ी बस में यात्रा के दौरान चढ़ रहा हो या उतर रहा है या सामान लाद रहा हो या उतार रहा हो;
 (ग) “संविदा गाड़ी बस” से, ऐसा मोटरयान जो भाड़े या पारिश्रमिक के लिए के लिए यात्री या यात्रियों का वहन करता है और संविदा के अधीन लगा हुआ हो, अभिप्रेत है ।
 (घ) “मृत्यु” से इस स्कीम के प्रयोजन के लिए दुर्घटना के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप यात्री की मृत्यु जो मंजिली गाड़ी बस या संविदा गाड़ी बस में यात्रा के दौरान घटी हो, या कोई मृत्यु जो ऐसी दुर्घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में घटी हो, अभिप्रेत है ।
 (ङ) “आश्रित” से, मृतक या अशक्त यात्री का कोई रिश्तेदार, अर्थात् पत्नी, पति, माता-पिता और बच्चे या कोई अन्य विधिक वारिस अभिप्रेत है;
 (च) “अशक्तता” से दुर्घटना के कारण यात्री की उपार्जन सामर्थ्य कीद प्रतिशतता में हानि अभिप्रेत है, जैसा सम्बद्ध जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षताधीन राज्य सरकार द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया हो;

(छ) “अनुग्रहपूर्वक अनुदान” से मंजिली गाड़ी बस/संविदा गाड़ी बस में की गई यात्रा के दौरान दुर्घटना के परिणामस्वरूप यात्री की अशक्तता या मृत्यु की दशा में यथा स्थिति, उसको या उसके आश्रितों को संदेय रकम अभिप्रेत है ;

(ज) “प्ररूप” से, इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(झ) “निधि” से, अधिनियम की धारा 3-ख की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित की गई निधि अभिप्रेत है;

(ञ) “यात्री” से, मंजिली गाड़ी या संविदा गाड़ी बस में यात्रा करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत चालक परिचालक या स्वामी का कर्मचारी जब ड्यूटी पर हो अथवा पोर्टर नहीं है ।

(ट) “अनुसूची” से, इस स्कीम के साथ संलग्न अनुसूची संलग्न अभिप्रेत है;

(ठ) “मंजिली गाड़ी बस” से, वैयक्तिक यात्रियों द्वारा या के लिये, पूर्ण यात्रा अथवा यात्रा की मंजिल हेतु भाड़ा या पृथक किरायों पर पुरस्कार के लिए, चालक को छोड़कर छह यात्रियों से अधिक को/का वहन करने के लिए सन्निर्मित या अनुकूल बनाया गया मोटरयान अभिप्रेत है; और

(2) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो मोटरयान अधिनियम, 1988 या हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 में उनके हैं ।

3. आवृत जोखिम. (1) सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन अपेक्षित अनुज्ञापत्र रखने वाली और जो, यथास्थिति अधिनियम के अधीन विशेष पथकर या यात्री कर ओर अधिभार उद्गृहित किए जाने के अध्वधीन है, इस बाम के होते हुए भी कि दुर्घटना के घटने के समय, स्वामी द्वारा ऐसा कर या अधिभार संदत्त किया गया ि या नहीं, मंजिली गाड़ी बस या संविदा गाड़र बस में यात्रा के दौरान होने वाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दुर्घटना के परिणामस्वरूप यात्री की मृत्यु होने पर आश्रितों को या अशक्त होने वाले यात्री को, निधि में ये अनुसूची में अधिकथित मृत्यु या अशक्तता के कारण उपार्जन क्षमता की हानि की प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा निर्धारित, अनुग्रहपूर्वक अनुदान संदाय करेगी :

परन्तु उन्हीं दुर्घटनाओं के मामले में जो हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्य क्षेत्रों में घटी हों, के लिए ही अनुग्रहपूर्वक अनुदान संदाय किया जाएगा ।

(2) खण्ड 6 के अधीन संदेय अनुग्रहपूर्वक अनुदान मोटरयान अधिनियम 1988 की धाराओं 110 और 166 के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम और जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की गई सहायता के अतिरिक्त होगा ।

4. दुर्घटना की सूचना - (1) जहां दुर्घटना घटी हो उस क्षेत्र का उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) ओर मंजिली गाड़ी बस या संविदा गाड़ी बस का स्वामी सम्बद्ध उपायुक्त को तुरन्त दुर्घटना के घटने पर या उसके पश्चात् दुर्घटना का लिखित में विवरण भेजेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरा होगा :-

(i) बस के स्वामी का नाम, चालक का नाम, सम्वाहक का नाम, बस की रजिस्ट्रीकरण संख्या, मार्ग जिस पर बस चल रही थी तथा दुर्घटना की तारीख, समय और स्थान ।

(ii) दुर्घटना में अंतर्वलित यात्रियों की विशिष्टियां जिसमें मृत्यु और अशक्ता के बारे में पृथकतः यात्रियों के नाम, अनुमानित आयु और पते उपदर्शित हों ।

(iii) उपायुक्त या सरकार द्वारा अधिकृत दुर्घटना के बारे में सूचना मिलते ही, दुर्घटना में सम्मिलित यात्रियों और दुर्घटना में जो मरे है उनके आश्रितों या निकटतम सम्बन्धी की पहचान के बारे में पूरी पूछताछ या जांच पडताल के प्रयार करेगा ताकि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुग्रहपूर्वक अनुदान का संदाय यथा संभव शीघ्रता से किया जा सके ।

5. अनुग्रहपूर्वक अनुदान के संदाय हेतु आवेदन - (1) इस स्कीम के अधीन यथास्थिति मृतक के आश्रितों द्वारा या अशक्त यात्री द्वारा अनुग्रहपूर्वक अनुदान के संदाय के लिये आवेदन इस स्कीम से संलग्न प्ररूप में किया जाएगा और उसे उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), को जिसके क्षेत्र की अधिकारिता में दुर्घटना घटी हो, को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) प्ररूप के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाए जाएंगे :-

(क) बस के स्वामी या स्वामी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि से प्रमाण-पत्र अथवा सम्बद्ध उप मण्डलाधिकारी नागरिक द्वारा जारी किए इस प्रमाण का प्रमाण-पत्र कि मृतक या अशक्त व्यक्ति मंजिली गाड़ी बस या संविदा गाड़ी बस का वास्तविक यात्री था ।

(ख) मृत्यु अथवा अशक्तता के बारे में चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।

(ग) मृत्यु की दशा में, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आश्रितों का प्रमाण-पत्र ।

(3) अनुग्रहपूर्वक अनुदान के संदाय के लिए कोई भी आवेदन तक तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक यह दुर्घटना की तारीख से एक वर्ष के भीतर न किया जाए :

परन्तु सरकार अनुग्रहपूर्वक अनुदान के लिये असाधारण मामले में गुणागुण के आधार पर किसी आवेदन की जिसे एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् किया गया हो पर भी विचार कर सकती है यदि एक वर्ष के भीतर आवेदन फाईल न करने के अच्छे और पर्याप्त कारण हों ।

6. अनुग्रहपूर्वक अनुदान का परिनिर्धारण और संदाय- (1) खण्ड (5) के अधीन आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रारूप पर प्राप्त करने पर उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), दावे की असलियत की ऐसी जांच पड़ताल, जैसी वह आवश्यक समझे, सुनिश्चित करने के पश्चात् और अपनी सिफारिश के साथ आवेदन को सम्बद्ध उपायुक्त जिसकी अधिकारिता के भीतर दुर्घटना घटी है, को आवेदन प्राप्त करने की तारीख से 15 दिन के भीतर अग्रेषित करेगा ।

(2) उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) से सिफारिश प्राप्त होने पर, उपायुक्त अपना समाधान हाने और यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि सभी आवश्यक अपेक्षाओं का पालन किया जा चुका है, अनुसूची के अनुसार अनुग्रहपूर्वक अनुदान मंजूर करेगा ।

(3) उपायुक्त से अनुग्रहपूर्वक अनुदान के संदाय की मंजूरी प्राप्त होने पर, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), उसे आवेदक को प्रत्यक्ष रूप से या आवेदक अनुदान मंजूर होने के समय रह रहा है उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले किसी अन्य अधिकारी द्वारा संवितरित करेगा ।

(2) The ex-gratia grant payable under clause 6 shall be in addition to the amount of compensation payable under sections 140 and 166 of the Motor Vehicles Act, 1988 and relief granted by the District Administration.

4. Intimation of accident:-

(1) The Sub- Divisional Officer (civil) of the area where the accident occurs and the owner of the stage carriage bus or contract carriage bus shall send a report in writing of the accident to the Deputy Commissioner concerned immediately on or after the occurrence of the accident which shall contain the following details:-

(i) name of the owner of the bus, name of the driver, name of the conductor, registration of the bus, route on which the bus was plying and date, time and place of accident.

(ii) The particulars of the passengers involved in the accident indicating name, approximate age and addresses of the passengers in respect of death and disability separately.

(iii) The Deputy Commissioner or any officer authorized by the Government on receipt of the intimation about the accident shall make all efforts to complete the investigation or enquiry with regard to the identity of the passengers involved in the accident and also of the dependents or next of kin of those who died in the accident, so as to make the payment of ex-gratia grant as specified in the Schedule as early as possible.

5. Application for payment of ex-gratia grant:-

(1) The application for payment of ex-gratia under this scheme shall be made on the form appended to this scheme, by the dependent(s) of the deceased or by the disabled passenger, as the case may be, and the same shall be submitted to the Sub-Divisional Officer (civil) of the area within whose jurisdiction the accident occurred.

(2) The form shall be accompanied by the following documents:-

- (a) Certificate from the owner or the authorized representative of the owner of the bus or certificate issued by the Sub-Divisional Officer (Civil) concerned to the effect that the deceased or the disabled person was a bonafide passenger of the stage carriage bus or contract carriage bus.
- (b) Certificate of the Medical officer regarding death or disability.
- (c) Certificate of dependents issued by the competent authority in the case of death.

(3) No application for payment of ex-gratia grant shall be entertained unless it is made within one year from the date of the accident:

Provided that the Government may consider any application for grant of ex-gratia grant in exceptional cases on merit which is made after the expiry of period of one year if there are good and sufficient reasons for not filing the application within one year.

6. Settlement and payment of ex-gratia grant:-

(1) On receipt of the application on the form, alongwith essential documents, under clause (5) , the Sub-Divisional Officer (Civil) shall process the application after making such enquiry as he deems necessary to ascertain the genuineness of the claim and forward his recommendation, to the Deputy Commissioner concerned within whose jurisdiction the accident occurred, within 15 days from the date of receipt of application.

(2) The Deputy Commissioner on receipt of the recommendations from the Sub-Divisional Office (civil), shall after satisfying and ensuring that all essential requirements have been adhered to, sanction the ex-gratia grant as per schedule.

(3) On receipt of the sanction of payment of the ex-gratia grant from the Deputy Commissioner, the concerned Sub-Divisional Officer (Civil) shall endeavour to disburse the same to the applicant, either directly or through any other authority having jurisdiction over the area where the applicant is residing at the time of sanction of grant.

(4) Every Deputy Commissioner concerned who has made sanction of the ex-gratia grant, shall send monthly information of disbursement of ex-gratia grant to the Commissioner for compilation of expenditure.

7. Payment of ex-gratia grant:-

(1) In case of death of a passenger who is of the age of 12 years and above, as on the date of accident, the amount of ex-gratia grant shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) In case of death of or disability to passenger of stage carriage bus or contract carriage bus in an accident who is below the age of 12 years and above, as on the date of accident, the ex-gratia grant shall be reduced to 50 percent of the limit prescribed in sub- clause(1).

8. Exclusion:-

(1) The Government shall be liable for any such liability for compensation under the Motor Vehicles Act, 1988 or rules made there under or under the Indian Fatal Accidents Act, 1855, or any other Law for time being in force.

9. Indemnity of the Government:-

(1) Every eligible passenger or his dependents as the case may be, who is entitled for ex-gratia grant as per provisions of this Scheme and in whose favour payment of ex-gratia grant has been sanctioned under sub-clause 1 or 2 of clause 7 of this Scheme shall at all time indemnity

and save and keep harmless the Government from all and every loss suits or proceedings in case the payment of ex-gratia grant is later on questioned/ challenged.

10. Repeal and Saving:-

(1) The Himachal Pradesh Passenger Insurance Scheme as notified vide Notification No. TPT-6-27/76, dated 19-11-1977, and published in the Himachal Pradesh Rajpatra (Extra-ordinary), dated 19-11-1977 (page 1109-1113) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the aforesaid Scheme shall be deemed to have been done or taken under this Scheme as if this Scheme had commenced on the day when the repealed Scheme came in force.

By order,

**Sd/-
Principal Secretary**

APPLICATION FORM

[See clause 5(1)]

Photograph of
the Deceased

photograph of
the applicant

To

**The Deputy Commissioner,.....
Himachal Pradesh**

(Through : The SDO Civil)

Sir,

I.....son/daughter/wife of Sh.....here
by apply as a dependent for payment of ex-gratia grant on account of death disability of
(names).....in a motor vehicle accident. Names and particulars
in respect of the deceased/disabled, in the motor vehicle are given below:-

1. Name and father`s name of the person died/
Disabled. Husband`s name in case of married
women and widow.....
2. Full address of the person disabled/died.....
.....
.....
3. Age of person disabled /died.....
4. Occupation of the person injured/died.....
5. Name and address of the employer
Of the deceased/disabled, if any.....
6. Place, date and time of the accident.....
7. Name and address of the place/station
Where the accident took place or was
registered.....
.....

- 8. Was the person in respect of whom ex-gratia grant is claimed travelling by motor vehicle involved in the accident. If so, give the name of places, of starting of journey and destination.....
- 9. Name, and address of the Medical officer Who attended on the passenger.....
- 10. Description of the injuries sustained (enclose medical certificate with percentage of disablement sustained by passenger showing percentage of the loss of the earning capacity sustained due to the accident).....
- 11. Registration No. & Type of the vehicle involved in the accident.....
- 12. Name and address of the owner of the vehicle.....
- 13. Name and address of the applicant.....
- 14. Relationship with the deceased/disabled.....
- 15. Title to the property of the deceased/diabled.....
- 16. Amount of ex-gratia grant claimed.....
- 17. Any other information that may be necessary or helpful n the processing of the claim.....

I,.....,solemnly declare that the particulars given above are true and correct to the best of my knowledge.

Signature or thumb impression of the applicant.

Certified that I personally know
 Shri.....
 He/ She is the only legal representative/
 Heir of the deceased Sh.....

Signature of the person Identifying the claimant.

A-Fingers of right or left hand index finger

27.	Whole	14
28.	Two Phalanges	11
29.	One Phalanx	09
30.	Guillotine amputation of tip without loss of bone	05

Middle Finger

31.	Whole	12
32.	Two Phalanges	09
33.	One Phalanx	07
34.	Guillotine amputation of tip without loss of bone	04

Ring or Title Finger

35.	Whole	07
36.	Two Phalanges	06
37.	One Phalanx	05
38.	Guillotine amputation of tip without loss of bone	02

B- Toes or right or left foot great toe

39.	Through metatarso-Phalangeal joint	14
40.	Part, with some loss to bone	03

Any other toe

41.	Through metataro-phalangeal joint	03
42.	Part, with some loss to bone	01

Two toes of one foot excluding great toe

43.	Through metatarso-phalangeal joint	05
44.	Part, with some loss to bone	02

Three toes one foot excluding great toe

45.	Through metatarso-phalangeal joint	06
46.	Part, with some loss to bone	03

Four toes one foot excluding great toe

47.	Through metatarso-phalangeal joint	09
48.	Part, with some loss to bone	03